[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017
9 आषाढ़, शक 1939

सा.का.नि...........(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के अनुसरण में, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित प्रतिवर्ष ब्याज की दर को नियत करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	धारा	ब्याज की दर
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	18 प्रतिशत
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	24 प्रतिशत
3.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (12) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	6 प्रतिशत
4.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	6 प्रतिशत
5.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56	9 प्रतिशत

	के परंतुक के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. एस-31011/25/2017-एसटी-आई-डीओआर)

(एस.आर. मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार